अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 9.07.2019 को अपरान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील रानीगंज स्थित "कार्यालय नगर पंचायत रानीगंज" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 9.07.2019 को अपरान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील रानीगंज स्थित "कार्यालय नगर पंचायत रानीगंज" का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री जलराजन चौधरी उप जिलाधिकारी, श्री अंजनी कुमार राय क्षेत्राधिकारी एवं श्री राजभान शुक्ला अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत रानीगंज, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।

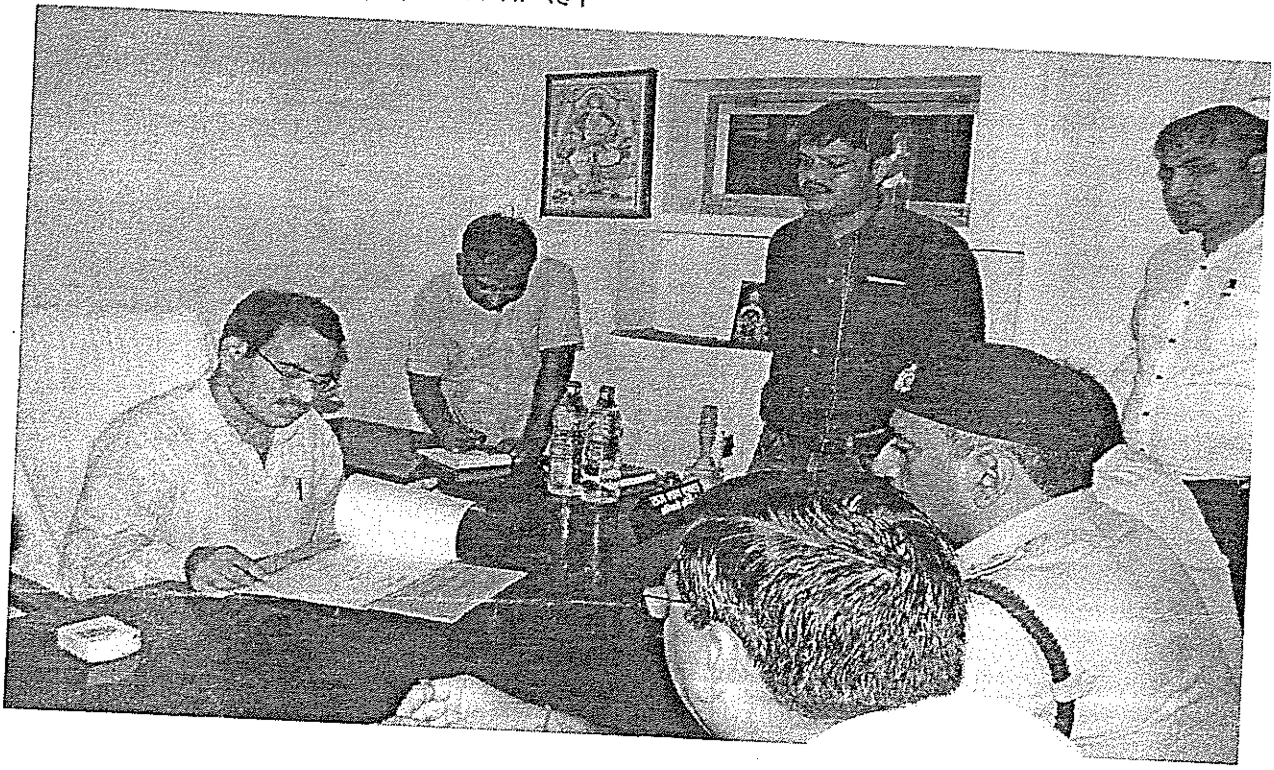

1. प्रस्तुत विवरण–पत्र के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत के 15 वार्डों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 1337 लक्ष्य के साथ 1002 लाभार्थियों के शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं एवं 335 अपात्रों द्वारा नाम अंकित करा दिया गया है। मौके पर उपस्थित अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त अपात्रों के स्थान पर नये लाभार्थियों का चयन कर शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर समस्त वार्डों को ओ0डी0एफ0 कराना सुनिश्चित करें।

2. नगर पंचायत के समस्त वार्डों में डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रित कराकर उसका पृथक्करण नहीं कराया जा रहा है। मौके पर उपस्थित अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सम्बन्ध में पूँछताछ करने पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस नगर पंचायत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु भूमि ग्राम अमहटा में भूमि मिल गयी है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त स्थान पर टीनशेड आदि डालकर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराएँ।

4. वर्तमान समय में वर्षा के दिनों में नगर पंचायत के विभिन्न स्थानों पर गड्ढों एवं नालियों में गन्दा जल एकत्रित है जिससे संक्रमण की संभावना बनी रहती है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त स्थानों पर चिंहित कर आवश्यकतानुसार केमिकल डलवाने एवं फॉगिंग कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

---2

5. पेयजल के सम्बन्ध में पूँछतांछ करने अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस नगर पंचायत क्षेत्र में 27 हैण्डपम्प रिबोर योग्य हैं, जिनकी सूची पूर्व में अधिशाषी अभियन्ता जल निगम को प्रेषित कर दी गयी थी फिर भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य में शिथिलता बरतने के लिए अधिशाषी अभियन्ता जल निगम का स्पष्टीकरण प्राप्त करें तथा उक्त हैण्डपम्पों को रिबोर कराने हेतु उन्हें निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

6. नालियों से कीचड़ आदि निकाले जाने के सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी द्वारा नाला क्लीनिंग मशीन क्रय किये जाने की आवश्यकता बतायी। इस सम्बन्ध में उन्हें निर्देशित किया गया कि उक्त मशीन क्रय किये जाने हेतु अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

7. विवरण–पत्र के अवलोकन में पाया गया कि इस नगर पंचायत में कुल 350.10 लाख रुपये की लागत से 55 अदद कार्य यथां सड़क निर्माण, इण्टर लाकिंग, नाला निर्माण, नाली निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है तथा रुपये 63,45,891.00 की लागत से गढ्ढा मुक्ति का कार्य 08 स्थानों पर कराया जा रहा है। मौके पर उपस्थित अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यों को ससमय पूर्ण कराया जाये तथा कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।

8. विवरण–पत्र के अवलोकन में पाया गया कि इस नगर पंचायत में रुपये 41,19,805.00 की लागत से सामुदायिक/सार्वजनिक/पिंग शौचालय का निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त कार्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त दिय गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। साथ ही प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निरीक्षण की विन्दुवार अनुपालन आख्या तैयार कराकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(मार्कण्डेय शाही)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

(5)

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

पत्रांक : 787/शिविर–2019 दिनांक : जुलाई 10, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त प्रयागराज।
2. मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), प्रतापगढ़।
3. उप जिलाधिकारी/अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत रानीगंज, प्रतापगढ़।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/राजस्व सहायक, कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़।
5. अन्य समस्त सम्बन्धित।

10.7.19

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।